

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय
स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय
वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 6,79,95,000/- (छः करोड़ उन्चासी लाख
पनचानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

पटना, दिनांक- 24.3.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-
अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17
में व्यय के लिए कुल ₹ 6,79,95,000/- (छः करोड़ उन्चासी लाख पनचानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न
विवरणों के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

A
2/17

(दयानिघान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 6,79,95,000/- (छः करोड़ उन्चासी लाख पनचानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए कुल ₹ 6,79,95,000/- (छः करोड़ उन्चासी लाख पनचानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2793 दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सर्वप्रथम संविदा पर कार्यरत कर्मियों एवं तत्काल कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-05/2016 सा०-.....²⁰ /

पटना, दिनांक- 24.3.2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

क्र० सं०	जिला का नाम	विकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	कुल	विद्युत प्रभार
	कूट संख्या -	06 01	11 01	13 01	13 02	13 03		13 04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	5,00,000	4,00,000	33,40,000	6,00,000	2,85,000	51,25,000	26,00,000
2	मोजपुर	0	50,000	10,00,000	3,00,000	80,000	14,30,000	10,000
3	बक्सर	0	50,000	6,70,000	4,00,000	25,000	11,45,000	1,50,000
4	कैमूर(भमुआ)	0	40,000	7,35,000	2,00,000	1,00,000	10,75,000	1,00,000
5	औरंगाबाद	0	50,000	7,35,000	2,00,000	25,000	10,10,000	2,00,000
6	मुजफ्फरपुर	0	75,000	11,00,000	3,50,000	1,00,000	16,25,000	3,00,000
7	सीतामढ़ी	0	50,000	7,40,000	1,50,000	65,000	10,05,000	2,50,000
8	पूंचम्पारण	0	50,000	7,40,000	4,00,000	65,000	12,55,000	2,00,000
9	प०चम्पारण	0	50,000	7,40,000	4,00,000	65,000	12,55,000	2,00,000
10	शिवहर	0	50,000	4,00,000	1,00,000	25,000	5,75,000	1,50,000
11	वैशाली	0	50,000	5,00,000	4,00,000	25,000	9,75,000	2,00,000
12	दरभंगा	0	75,000	7,50,000	3,00,000	50,000	11,75,000	2,00,000
13	मधुबनी	0	75,000	7,50,000	3,00,000	50,000	11,75,000	1,50,000
14	समस्तीपुर	0	50,000	5,00,000	1,00,000	50,000	7,00,000	2,00,000
15	सारण	50,000	75,000	6,70,000	2,00,000	50,000	10,45,000	2,00,000
16	सिवान	0	75,000	5,70,000	1,00,000	1,00,000	8,45,000	8,50,000
17	गोपालगंज	0	50,000	5,70,000	1,00,000	35,000	7,55,000	1,50,000
18	भागलपुर	0	1,00,000	7,35,000	2,00,000	35,000	10,70,000	1,25,000
19	बांका	0	50,000	4,00,000	1,00,000	35,000	5,85,000	1,25,000
20	मुंगेर	0	75,000	5,00,000	2,00,000	50,000	8,25,000	1,50,000
21	लक्खीसराय	0	40,000	5,00,000	50,000	55,000	6,45,000	75,000
22	जमुई	0	30,000	4,35,000	50,000	20,000	5,35,000	1,00,000
23	खगड़िया	0	50,000	5,70,000	50,000	50,000	7,20,000	1,50,000
24	बेगूसराय	0	50,000	5,70,000	75,000	50,000	7,45,000	1,50,000
25	पूर्णियाँ	0	1,40,000	10,00,000	1,50,000	1,00,000	13,90,000	1,00,000
26	कटिहार	0	50,000	5,00,000	50,000	65,000	6,65,000	2,00,000
27	अररिया	0	50,000	4,35,000	50,000	25,000	5,60,000	1,25,000
28	किशनगंज	0	50,000	4,30,000	50,000	25,000	5,55,000	1,50,000
29	सहरसा	0	50,000	8,00,000	2,50,000	50,000	11,50,000	1,50,000
30	मधेपुरा	0	50,000	5,70,000	50,000	35,000	7,05,000	2,00,000
31	सुपौल	0	50,000	5,70,000	1,00,000	50,000	7,70,000	2,00,000
32	रोहतास	70,000	50,000	7,35,000	2,50,000	50,000	11,55,000	2,00,000
33	नालन्दा	0	50,000	7,35,000	3,50,000	65,000	12,00,000	2,00,000
34	गया	0	50,000	14,00,000	4,00,000	1,00,000	19,50,000	2,40,000
35	नवादा	0	50,000	5,70,000	50,000	40,000	7,10,000	1,00,000
36	जहानाबाद	0	50,000	5,60,000	50,000	40,000	7,00,000	1,00,000
37	अरवल	0	50,000	5,70,000	50,000	55,000	7,25,000	1,00,000
38	शेखपुरा	0	50,000	4,80,000	50,000	30,000	6,10,000	50,000
	कुल योग -	6,20,000	25,00,000	275,75,000	72,25,000	22,20,000	401,40,000	91,00,000

contd....

४

क्र० सं०	जिला का नाम	वर्दी/ पोशाक	किराया, महसूल एवं कर	प्रकाशन एवं मुद्रण	प्रशिक्षण व्यय	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल
	कूट संख्या -	13 06	14 01	16 01	20 03	28 01	
		10	11	12	13	14	15
1	पटना	2,50,000	4,00,000	1,00,000	5,00,000	19,00,000	108,75,000
2	मोजपुर	80,000	1,50,000	25,000	0	1,00,000	17,95,000
3	बक्सर	40,000	1,00,000	25,000	0	0	14,60,000
4	कैमूर(ममुआ)	80,000	1,00,000	25,000	0	6,00,000	19,80,000
5	औरंगाबाद	40,000	1,20,000	40,000	0	7,00,000	21,10,000
6	मुजफ्फरपुर	80,000	1,00,000	1,00,000	50,000	1,00,000	23,55,000
7	सीतामढ़ी	65,000	1,00,000	40,000	0	50,000	15,10,000
8	पूंचम्पारण	65,000	1,00,000	60,000	0	7,00,000	23,80,000
9	पंचम्पारण	65,000	1,00,000	60,000	0	1,00,000	17,80,000
10	शिवहर	40,000	1,00,000	30,000	0	0	8,95,000
11	वैशाली	40,000	1,00,000	40,000	0	0	13,55,000
12	दरमंगा	50,000	1,20,000	1,00,000	50,000	9,00,000	25,95,000
13	मधुबनी	50,000	1,00,000	40,000	0	10,00,000	25,15,000
14	समस्तीपुर	50,000	1,20,000	50,000	0	0	11,20,000
15	सारण	50,000	1,00,000	1,00,000	50,000	0	15,45,000
16	सिवान	80,000	50,000	30,000	0	3,00,000	21,55,000
17	गोपालगंज	40,000	1,00,000	40,000	0	0	10,85,000
18	भागलपुर	40,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,00,000	16,85,000
19	बांका	40,000	1,00,000	20,000	0	1,00,000	9,70,000
20	मुंगेर	50,000	1,00,000	1,00,000	50,000	4,00,000	16,75,000
21	लखीसराय	50,000	3,00,000	25,000	0	0	10,95,000
22	जमुई	40,000	1,00,000	20,000	0	2,00,000	9,95,000
23	खगड़िया	50,000	1,00,000	30,000	0	1,50,000	12,00,000
24	बेगूसराय	50,000	1,50,000	25,000	0	1,00,000	12,20,000
25	पूर्णियाँ	80,000	2,00,000	1,00,000	50,000	0	19,20,000
26	कटिहार	60,000	1,00,000	50,000	0	2,50,000	13,25,000
27	अररिया	40,000	1,00,000	40,000	0	3,00,000	11,65,000
28	किशनगंज	40,000	1,00,000	50,000	0	0	8,95,000
29	सहरसा	50,000	1,00,000	1,00,000	50,000	1,00,000	17,00,000
30	मधेपुरा	40,000	1,00,000	30,000	0	0	10,75,000
31	सुपौल	50,000	1,00,000	25,000	0	0	11,45,000
32	रोहतास	50,000	1,00,000	30,000	0	0	15,35,000
33	नालन्दा	60,000	1,25,000	40,000	0	9,00,000	25,25,000
34	गया	1,00,000	1,50,000	1,00,000	50,000	0	25,90,000
35	नवादा	40,000	1,00,000	30,000	0	0	9,80,000
36	जहानाबाद	40,000	1,00,000	40,000	0	0	9,80,000
37	अरवल	55,000	1,00,000	20,000	0	0	10,00,000
38	शेखपुरा	30,000	1,00,000	20,000	0	0	8,10,000
	कुल योग -	22,20,000	46,85,000	19,00,000	9,00,000	90,50,000	679,95,000

(छ: करोड़ उन्चासी लाख पनचानवे हजार रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग